



पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 01.01.2021

1-थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 09 एटीएम कार्ड व 20 हजार रूपये नकद बरामद।

दिनांक 01.01.2021 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा इंश्योरेंस के नाम पर फर्जी कॅल कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश 02 अभियुक्त 1.असलम पुत्र शमीम आलम निवासी गली नं0- 02 मामूरा सेक्टर 66 थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर 2.अजित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी नियर बाई अंकुश चौहान का मकान गढी चौखण्डी थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूलपता गाँव पीपरा थाना सिद्धबलिया जिला गोपालगंज बिहार को ग्राम विशनपुरा एचडीएफसी बैंक सैक्टर-58 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त फर्जी कॅल कर इंश्योरेंस के नाम पर प्रलोभन देकर लोगों के साथ धोखाधडी व ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 09 एटीएम कार्ड व 20 हजार रूपये नकद बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1.असलम पुत्र शमीम आलम निवासी गली नं0- 02 मामूरा सेक्टर 66 थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2.अजित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी नियर बाई अंकुश चौहान का मकान गढी चौखण्डी थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूलपता गाँव पीपरा थाना सिद्धबलिया जिला गोपालगंज बिहार

अभियोग का विवरण -

- 1.मु0अ0सं0-01/2021 धारा-420 भादवि थाना सेक्टर 58, नोएडा

बरामदगी का विवण-

1.09 एटीएम

2.20,000/- रूपये नकद

3.02 मोबाइल फोन बरामद

2- थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल मय 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 31.12.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र किरन निवासी सै0 45 म0न0 59 डी काशीराम कालौनी थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर कटहैरा रोड को रेलवे रोड पेट्रोल पम्प दादरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल डीएल 8एस सीजी 9290 पेशन प्रो, 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कृष्ण कुमार पुत्र किरन निवासी सै0 45 म0न0 59 डी काशीराम कालौनी थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

मु0अ0सं0 834/2020 धारा 379/411 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1.मोटर साइकिल डीएल 8एस सीजी 9290 पेशन प्रो,

2. 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस

3- थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब व गांजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा व अवैध शराब बरामद।

दिनांक 01.01.2021 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब व गांजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त संजीव पुत्र स्व० राजपाल नि० निस्तौली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद व श्रीमती वन्दना उर्फ मीनू पत्नी राजकुमार नि० ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान नि० पंचकुला 2 थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को हरियाणा मार्का शराब व देशी शराब को आपस में मिलाकर उत्तर प्रदेश मार्का रॉयल स्टेग कम्पनी के खाली बोतल, अर्धे, पव्वे में भरकर तैयार करते समय गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से अपमिश्रित अवैध शराब व खाली बोतल, अर्धे, पव्वे आदि सामान व 6 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुये है। अभियुक्तों से हुई बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर मु०अ०स०-0001/2021 धारा- 420 भादवि, 60/63 आबकारी अधि० व मु०अ०स०-0002/2021 धारा- 8/20 एनडीपीसी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजीव पुत्र स्व० राजपाल नि० निस्तौली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद।
2. श्रीमती वन्दना उर्फ मीनू पत्नी राजकुमार नि० ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान नि० पंचकुला 2 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत मुकदमो का विवरण:-

1. मु०अ०स०-0001/2021 धारा- 420 भादवि, 60/63 आबकारी अधि० थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०स०-0002/2021 धारा- 8/20 एनडीपीसी एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 92 पव्वे मिस इण्डिया देशी शराब,
2. रिटर्न कम्पनी के हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 51 बोतल,
3. अपमिश्रित शराब के रायल स्टेग के 07 अर्धे,
4. अपमिश्रित शराब के रायल स्टेग के 28 पव्वे,
5. रिटर्न कम्पनी की 126 खाली बोतल,
6. रिटर्न कम्पनी के काँच के 31 खाली पव्वे,

7. रायल स्टेग शराब कम्पनी के 23 खाली काँच बोतल,
8. रायल स्टेग शराब कम्पनी के 88 खाली कांच के अर्धे
9. रायल स्टेग शराब कम्पनी के 52 खाली कांच के पक्के,
10. मिस इण्डिया शराब के 523 खाली पक्के,
11. 352 टूटे हुये ढक्कन,
12. रायल स्टेग शराब की बोतलो, पक्का व अर्धे के 5 खाली गत्ते के डिब्बे,
13. दो कीप,
14. 06 किग्रा 600 ग्राम अवैध गांजा ।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में दिनांक 01.01.2021 को 303 व्यक्तियों का चालान किया गया व 30300/- शमन शुल्क वसूला गया।